तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की
	2017/62257	
26/3/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ----- --------21/6/18--------को पेश हो। पुनश्च पत्रावली दि० 21/6/18 को केम्प रेलगांव मे पेश हो।	
21.6.18.	पत्रावली लोक अदालत केम्प रेलगांव में पेश हुई। वादी नं0 1 एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 मजमें आम में उपस्थित। वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के खातें व कब्जें काश्त की ख0नं0 983 रकबा 1.34 हे0 भूमि वाके ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद स्थित हैं, जो लम्बी पट्टी के रूप में स्थित है। उक्त भूमि में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता अंकित है। उक्त भूमि के दूसरी ओर प्रतिवादी नं0 3 का खेत है। प्रतिवादी नं0 1, 2 प्रतिवादी नं0 3 से मिली भगत कर वादीगण व प्रतिवादीगण के दोनों खेतों की बराबर–बराबर जमीन न लेकर केवल वादीगण के खेत में ही मिट्टी डालकर रास्ता बनानें पर आमादा है जो पूर्व में दिनांक 21.12.2012 को हुए समझोते के विपरीत है। अतः प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें के वे वदीगण की विवादित खातेदारी आराजी से बेदखल नहीं करें और उपरोक्त भूमि के कब्जें काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे और न किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकालें और न ही उक्त भूमि में सडक बनाये और न उक्त भूमि में खड्डे खोदकर मिट्टी डाले। प्रतिवादी नं0 2 की ओर स जवाब प्रस्तुत हुआ जो शा0मि0 किया गया तथा उपस्थित पक्षकारान् को सुना गया। प्रकरण में सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। वादीगण ख0नं0 983 रकबा 1.34 हे0 भूमि के अभिलिखिल खातेदार राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है। प्रतिवादी नं0 2 ने कथन किये है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल रोड का निर्माण राजकीय भूमि पर ही किया जा रहा है। वादीगण के खातें की भूमि निर्माण नहीं किया जा रहा है। फिर भी यदि वादीगण सन्तुष्ट नहीं है तो वह अपनें खातें की भूमि का सीमांकन करवा सकते है।	ग्राम सेवक एवं ग्राम पंचायत ... पं. स. सुल्तानपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2017/2012 257	
उभयपक्ष को सुने जानें के बाद समझाईश की गई। प्रतिवादी नं0 2 ने सडक निर्माण सरकारी भूमि पर किये जानें के कथन किये है जबकि वादीगण द्वारा निर्माण कार्य उनके खातें की आराजी पर किये जानें के कथन किये है। चूंकि ख0नं0 983 की भूमि वादीगण की खातेदारी आराजी है, किन्तु पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 3 के मध्य हुई सहमति अनुसार रास्ते का निर्माण दोनों पक्षों की आधी–आधी भूमि पर किया जाना था। उभयपक्ष के मध्य मजमें आम में इस बाबत् सहमति कायम की गई कि, यदि नरेगा के अन्तर्गत ग्राम रेलगांव में करवायें जा रहे रास्ते का निर्माण कार्य राजकीय भूमि पर किया जा रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु उसके अतिरिक्त यदि भूमि रास्ते में जाती है तो वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 3 की उपस्थित में दोनो पक्षों की भूमि का सीमांकन करते हुए, दोनों पक्षों की बराबर–बराबर भूमि ली जावें। अतः वाद वादीगण इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि ग्राम रेलगांव से चोमा मालियान की सीमा (कांकड) पर हो रहे रास्तें के निर्माण कार्य में यदि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 3 की भूमि उपयोग में ली जाती है तो उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमांकन करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बराबर–बराबर भूमि उपयोग में ली जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	